


राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ15()परिवीक्षा/सा०सु०/सान्याअवि/20/५८१४६ जयपुर, दिनांक 16.09.2020

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 77486, दिनांक 23.12.19 में संशोधन कर राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 के अध्याय-7 की धारा 24 में प्रावधानानुसार आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान को एतद्वारा "आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents), नियुक्त किया जाता है।


(गायत्री सठौड) १३/१/२०२०
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ15()परिवीक्षा/सा०सु०/सान्याअवि/19-20/ जयपुर, दिनांक 16.09.2020.
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:- ५८१ - ५८०३७

- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर्स।
- संयुक्त निदेशक, आई.टी., मुख्यावास को लेख है कि विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

-11-

शासन सचिव